

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.272/17

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ए के बाजपेयी।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री मनु भार्गव की ओर से अधिवक्ता
श्री लोकेश कुमार गुप्ता।

:: आदेश ::

30.7.2018

कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 7.1.2018 के क्रम में न्यायहित में यह आवश्यक समझा जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 7 को पुनः नये नोटिस जारी किये जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 7 के पी एफ नोटिस दो प्रतियों में पेश करे, जो पेश किये जाने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किये जावे। नोटिस की एक प्रति सामान्य प्रक्रिया व दूसरी प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को निवेदन अनुसार नोटिस दस्ती प्रदान किये जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति